कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू, राँची।

आदेश–पत्रक

अनुसूची—फॉर्म सं०—___ (देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख..............से.................. तक ....जिला राँची

केस का प्रकारः– विविध जमाबंदी वाद सं०– 02/2023–24

आदेश और तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
06/02/24	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही बलराम साहु, बिहारी प्रसाद, पिता– स्व॰ राम स्वार्थ साहु एवं अनिरूद्ध प्रसाद, पिता– स्व॰ रामलखन साहु सभी निवासी ग्राम– चुन्द, पोस्ट– ब्राम्बे, थाना– माण्डर, जिला– राँची द्वारा दिये आवेदन से प्रारंभ हुई। आवेदकों (प्रथम पक्ष) ने दिनांक– 06.07.2023 को अंचल कार्यालय, बुढ़मू में आवेदन देकर मौजा– अड़रा, थाना सं.– 89 खाता सं.– 19 में बड़का वनचु गोड़ाईत एवं वनही गोड़ाईत पेशरान वचना गोड़ाईत के नाम से ऑनलाईन पंजी II में चल रहे दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया है। आवेदकों का निवेदन पूर्वक कहना है कि– "निवेदन पूर्वक कहना है कि 1. बलराम साहु, 2. बिहारी प्रसाद, पिता– स्व॰ राम स्वार्थ साहु वो 3. अनिरूद्ध प्रसाद, पिता– स्व॰ रामलखन साव निवासी ग्राम– चुन्द, पोस्ट– ब्राम्बे, थाना– माण्डर, जिला– राँची स्थायी निवासी हूँ। उपरोक्त विषय में कहना है कि मौजा– अड़रा अंचल– बुढ़मू थाना– ठाकुरगाँव में हमलोगों की पैतृक भूमि है। जिसका खाता नं.– 19 प्लॉट नां.– 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 48, 76, 77, 190, 191, 193, 194, 244, 245, 267, 271, 272, 274, 275, 280, 281, 342, 344, कुल रकबा– 11.44 एकड़ भूमि को हमलोगों के दादा स्व॰ हलखोरी साव ने वर्ष 1934–35 में निलाम के माध्यम से खरीदा (रेंटसूट के माध्यम जिसका केस नं.– 14909R1934–35 संलग्न है।) खरिदगी के पश्चात् उस भूमि के दखलकार हुए तथा तत्कालीन जमींदार रातु महराजा से लगान रसीद प्राप्त किया। जब अंचल कार्यालय बुढ़मू की स्थापना हुई तब अपने नाम हलखोरी साव के नाम से खाता 19 कुल रकबा– 11.44 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम की तथा अपने नाम से लगान रसीद निर्गत कराया। (जो आवेदन के साथ संलग्न है।) उपरान्त अपने जीवन काल में अपने दो पुत्र 1. राम स्वार्थ साव 2. रामलखन साव दोनों के पिता हलखोरी साव को दो अलक–अलग निबंधित बिक्री पत्र के माध्यम से बिक्री कर दिया क्रय के उपरान्त दोनो भाई अपने–अपने जमीन के दखलकार हुए तथा 1. राम स्वार्थ साव ने अपने नाम से अंचल कार्यालय बुढ़मू में दाखिल–खारिज कराया। जिसका केस नं.– 13, 14, 15 आर 27 वर्ष 1976–77 है। जिसका उल्लेख में मेनुवल पंजी II और ऑनलाईन पंजी II के पेज 11 भाग– 1 में दर्ज है। इसी प्रकार रामलखन साव ने भी अपने नाम से दाखिल–खारिज कराया। जिसका केस नं.– 13, 15 आर 27	

06/02/24

वर्ष 1976–77 जिसका मेनुवल पंजी II और ऑनलाईन पंजी II के पेज 12 भाग– 1 में दर्ज है। तथा ये दोनो अपने में दखलकार हुए।

चूंकि खतियानी जमीन की मूल प्रकृति आदिवासी है जिसका निलाम CS खतियान 1909 के आधार पर निलाम हुआ था विपक्षी खतियान उत्तराधिकारी द्वारा जमीन वापसी हेतु SAR केस बी॰ एम॰ मुण्डा विशेष विनियम पदाधिकारी राँची के कोट का दायर किया जिसका केस नं॰– 1096/76 भकुवा गोड़ाईत बनाम राम स्वार्थ साहु के बीच में जिसका आदेश राम स्वार्थ साहु के पक्ष में आया। (आदेश संलग्न है।)

विपक्षी पक्ष केस हारने के बाद अपील एम॰पी॰ अजमेरा A/C राँची के कोट में दायर किया जिसका केस नं॰– 7R15/88–89 स्वार्थ साहु पिता स्व॰ हलखोरी साहु बनाम हरखू गोड़ाईत पिता स्व॰ बंदी गोड़ाईत के बीच में हुआ जिसका आदेश राम स्वार्थ साहु के पक्ष में आया (आदेश का प्रति संलग्न है।) इसी प्रकार जब वर्ष 1979–80 में जमीन का सर्वे हुआ तो उसका बंडा पर्चा भी राम स्वार्थ साहु वो रामलखन साहु दोनो के पिता हलखोरी साव के नाम से मिला (जो संलग्न है।)

लेकिन हमलोगों के जमीन को हड़पने के लिए खतियानी नाम से गलत तरिके से विपक्षी ने जमीन हड़पने के लिए लगान रसीद चालु कराया है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। अतः श्रीमन् से नम्र निवेदन है कि जो उनके द्वारा गलत पंजी II ऑनलाईन में चढ़ाया गया है उसे हटाया जाए क्योंकि इसका उल्लेख मेनुवल पंजी II में कहीं नहीं है तथा उनके द्वारा जो रसीद कटाया जा रहा है उसे स्थगित किया जाए।"

आवेदन के आलोक में दिनांक– 19.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी एवं कार्यालय की मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष को नोटिस का तामिला कराया गया है। आवेदक एवं द्वितीय पक्ष 04.08.2023 को कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे एवं दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष के बलराम साहु, बिहारी प्रसाद एवं अनिरूद्ध प्रसाद उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किये और निम्नांकित दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत किये हैं–

1. ऑनलाईन Continous Khatian की छायाप्रति।
2. 1909 का CS खतियान की छायाप्रति।
3. निलाम पेपर की छायाप्रति।
4. बिक्रय पत्र की छायाप्रति।
5. हाल का बैडा पर्चा की छायाप्रति।
6. A/C कोर्ट का फैसला की छायाप्रति।
7. SAR कोर्ट का फैसला की छायाप्रति।
8. खारिज की छायाप्रति।

प्रथम पक्ष का अपना लिखिल जवाब प्रस्तुत किया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

06/02/2024

Scanned with CamScanner

द्वितीय पक्ष (पंजी ॥ रैयत के वंशज) तोना गोड़ाईत, सुखु गोड़ाईत, भोम्भा गोड़ाईत पिंकू गोड़ईत, फूलचंद तिरकी, किशोर महली, जितेन्द्र महली हरि महली, बाली महली, विनोद महली सभी निवासी ग्राम– अड़रा पो.– गुरगाई, थाना– ठाकुरगाँव जिला– राँची को नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक– 04.08. 2023 को बंधन गोड़ाईत वगैरह कार्यालय में उपस्थित होकर अपना मौखिक पक्ष रखे। उनका कहना है कि प्रश्नगत् भूमि उनकी खतियानी भूमि है उन्होने अपने दावे के समर्थन में ऑनलाईन रसीद प्रस्तुत किया। मूल रसीद (हाथ से कटे रसीद) की मांग करने पर उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि–

सर्वे खतियान :–

1. सर्वे खतियान में मौजा– अडरा थाना नं.– 89 के अन्तर्गत खाता नं.– 19 प्लॉट सं.– 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 48, 76, 77, 190, 191, 193, 194, 244, 245, 267, 271, 272, 274, 275, 280, 281, 342, एवं 344, रकबा क्रमशः 0.32 एकड़, 0.17 एकड़, 0.27 एकड़, 0.03 एकड़, 0.05 एकड़, 0.34 एकड़, 0.17 एकड़, 1.00 एकड़, 0.65 एकड़, 0.27 एकड़, 1.31 एकड़, 1.12 एकड़, 1.18 एकड़, 0.16 एकड़, 0.24 एकड़, 0.11 एकड़, 0.05 एकड़, 0.95 एकड़, 0.51 एकड़, 0.26 एकड़, 0.70 एकड़, 0.36 एकड़, 0.10 एकड़, 0.36 एकड़, 0.12 एकड़, 0.31 एकड़, 0.25 एकड़, 0.05 एकड़, कुल रकबा– 11.44 एकड़ भूमि बड़का बन्धु गोड़ाईत पेशरान बंधन गोड़ाईत व बन्दी गोड़ाईत पेशरान बंधना गोड़ा जति गोड़ाईत निवासी साकिन देह दर्ज है।

पंजी ॥ की स्थिति :–

1. भोलुम सं.– 1 के पृष्ठ सं.– 11 में मौजा अड़रा थाना नं.–89 के अन्तर्गत खाता सं.– 8, 19 कुल रकबा– 5.99 एकड़ भूमि (मूल पंजी ॥ में) बिक्री के उपरान्त ऑनलाईन पंजी ॥ में 5.61 एकड़ भूमि श्री राम स्वार्थ साव पिता हलखोरी साव के नाम से दा.खा. केश नं.– 13, 14, 15 आर 27 वर्ष 1976–77 के आधार पर कायम है। (खाता नं.– 08, 19 प्लॉट सं.– 384, 388, 403, 406, 408, 48, 76, 77 एवं 190 रकबा क्रमशः 1.58 एकड़, 0.17 एकड़, 0.20 एकड़, 0.07 एकड़, 0.20 एकड़, 1.31 एकड़, 0.93 एकड़, 0.99 एकड़, 0.16 एकड़, कुल रकबा 5.61 एकड़ भूमि)
2. पंजी ॥ के भाग– 1 के पृष्ठ सं.– 12 में मौजा– अड़रा थाना नं.–89 के अन्तर्गत खाता सं.– 8, 19 प्लॉट सं.– 353, 354, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 191, 193, 194, 244, 245, 271, 273, 274, 275, 280, 281, 343 एवं 344 रकबा क्रमशः 1.02 एकड़, 0.48 एकड़, 0.32 एकड़, 0.17 एकड़, 0.27 एकड़, 0.03 एकड़, 0.05 एकड़, 0.34 एकड़, 0.17 एकड़, 0.48 एकड़, 0.32 एकड़, 0.17 एकड़, 0.27 एकड़, 0.03 एकड़, 0.05 एकड़, 0.34 एकड़, 0.17 एकड़, 1.08 एकड़, 0.65 एकड़, 0.27 एकड़, 0.24 एकड़, 0.11 एकड़, 0.05 एकड़, 0.95 एकड़, 0.51 एकड़, 0.70 एकड़, 0.36

उ०अ०
06/02/2024

Scanned with CamScanner

एकड़, 0.10 एकड़, 0.36 एकड़, 0.12 एकड़, 0.31 एकड़, 0.25 एकड़, 0.05 एकड़, कुल रकबा 8.96 एकड़ भूमि श्री रामलखन साव पिता हलखोरी साव के नाम से दाखिल–खारिज वाद सं॰ 13.15 R27/1976–77 के अधारा पर जमाबंदी कायम है।

3. पंजी II के भोलुम सं॰– 1 के पृष्ठ सं॰–19 में मूल पंजी II में श्री तीला उराँव पिता शुकरा उराँव के नाम से मौजा – अडरा खाता सं॰– 12 प्लॉट सं॰– 393 एवं अन्य सहित कुल रकबा 2.94 एकड़ भूमि का जमाबंदी संधारित है। मूल पंजी II में वर्ष 1992–93 से 99–2000 तक निर्गत रसीद सं॰– 087593 दिनांक– 27.01.2000 दर्ज है।

परन्तु उक्त भो.सं॰– 1 के पृष्ठ सं॰– 19 में ऑनलाईन पंजी II में बड़का बन्दु गोड़ाईत, वनही गोड़ाईत, पेशरान वन्धन गोड़ाईत जाति गोड़ाईत, श्री तीला उराँव पिता शुकरा उराँव के नाम से खाता सं॰– 19, 12 प्लॉट सं॰– 21 एवं 393 एवं अन्य सहित कुल रकबा 11.45 एकड़ भूमि का जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II में संधारित है।

आवेदक एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यालय अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंजी II के भाग सं॰– 1 के पृष्ठ सं॰–19 में जमाबंदी विपक्षी के वंशज बड़का वनचु गोड़ाईत पेशरान वननचा गोड़ाईत एवं वनही गोड़ाईत पेशरान वननचा गोड़ाईत के नाम दर्ज नहीं है। भाग– 1, पृष्ठ में खाता– 12 की जमाबंदी तीला उराँव पिता शुकरा उराँव के नाम पर दर्ज है। विपक्षी की जमाबंदी मूल पंजी II में कहीं भी दर्ज नहीं पाया गया। विपक्षी के पास हस्त निर्गत रसीद भी उपलब्ध नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी की ऑनलाईन पंजी II में दर्ज जमाबंदी तकनीकी त्रुटि से कायम हुई है। यह जमाबंदी रद्द करने योग्य है। जमाबंदी रद्द करने के लिए अधोहस्ताक्षरी सक्षम प्राधिकार नहीं हैं। परन्तु, यह तकनीकी त्रुटि है। अतः विपक्षी के पूर्वजों के नाम ऑनलाईन पंजी II के भाग– 1, पृष्ठ में दर्ज जमाबंदी को सुधार के उद्देश्य से रद्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 06/02/2024
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Sd/- 06/02/2024
अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2024.02.08 13:10:05 +05:30
Location: 192.168.148.187

Scanned with CamScanner